झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 4007/2021

1. शिव कुमार सिंह, आयु लगभग 65 वर्ष, पिता - स्व. चंद्र दीप, निवासी - गांव बहासी, पोस्ट - कडिल पुर, थाना - जंदाहा, जिला - वैशाली, बिहार।
2. बेदानंद सिंह, आयु लगभग 68 वर्ष, पिता - स्व. मनोहर सिंह, निवासी - फ्लैट नंबर 101, त्र्यम्बकेश्वर अपार्टमेंट, चासिरे होम रोड, बरीयातू, पोस्ट+थाना - बरीयातू, जिला - रांची।
3. सच्चा प्रसाद सिंह, आयु लगभग 66 वर्ष, पिता - स्व. लखन सिंह, निवासी - गांव शाक्ति नगर, हाजीपुर, पोस्ट - अंजुपुर, थाना - वैशाली (टी), जिला - वैशाली, बिहार।
4. राजेंद्र सिंह, आयु लगभग 68 वर्ष, पिता - स्व. अम्बिका सिंह, निवासी - गांव - टेटरिया, पोस्ट - बुद्धा गेरे, थाना - गया (एम), जिला - गया, बिहार।
5. उपेंद्र राजक, आयु लगभग 65 वर्ष, पिता - स्व. प्रदीप राजक, निवासी - गांव - रूपास महाजी, पोस्ट - गयास पुर महाजी, थाना - सलिम पुर, जिला - पटना, बिहार।
6. भारत सिंह, आयु लगभग 60 वर्ष, पिता - स्व. शम्भू नाथ सिंह, निवासी - गांव - शास्त्री नगर, आर.एन.-02 जेल प्रेस रोड, गया, पोस्ट+थाना - गया, जिला - गया, बिहार।
7. अरुण कुमार श्रीवास्तव, आयु लगभग 64 वर्ष, पिता - स्व. श्यामलानंद लाल, निवासी - फ्लैट नंबर 103बी, माँ एन्क्लेव, चासिरे होम रोड, बरीयातू, पोस्ट+थाना - बरीयातू, जिला - रांची।
8. गोपाल सिंह, आयु लगभग 68 वर्ष, पिता - स्व. राम किशन सिंह, निवासी - आदर्श कॉलोनी क्रॉस नं. 4 होल्डिंग नं. 106 मंग, पोस्ट - मंगो, थाना - मंगो, जिला - ईस्ट सिंहभूम ..... याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. राज्य झारखंड, द्वारा सचिव, आपदा प्रबंधन एवं कारागार विभाग, निवासी - नेपाल हाउस, पोस्ट+थाना - डोरंडा, जिला - रांची, प्रोजेक्ट बिल्डिंग के पास।

2. निरीक्षक सामान्य, कारागार, राज्य झारखंड, निवासी - गांव+पोस्ट - प्रोजेक्ट बिल्डिंग, थाना - धुर्वा, जिला - रांची।
3. लेखा नियंत्रक, राज्य झारखंड, रांची, निवासी - डोरंडा, पोस्ट+थाना - डोरंडा, जिला - रांची, झारखंड।

.... प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं की ओर से : श्री अरविंद कुमार, अधिवक्ता
प्रतिवादियों की ओर से : श्री रोहित सिन्हा, अधिवक्ता

उपस्थित

मान्यवर श्री न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा : पक्षों को सुना।

2. यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है, जिसमें उपयुक्त रिट/रिटों, आदेश/आदेशों, निर्देश/निर्देशों के जारी करने की प्रार्थना की गई है, ताकि प्रतिवादियों को यह निर्देश दिया जा सके कि वे ज्ञापन संख्या 6/एस-06(प्रो) 03/2009 2981/वी रांची दिनांक 01.09.2009 (संलग्नक-1) के तहत पारित प्रस्ताव को याचिकाकर्ताओं के पेंशन और बकाया राशि में लागू करें। याचिकाकर्ता ₹4600/- वेतनमान के पात्र हैं, लेकिन प्रतिवादी/राज्य अब भी ₹2800/- वेतनमान पर पेंशन का भुगतान कर रहा है।
3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ताओं को वार्डर के पद पर नियुक्त किया गया था, और उन्होंने अपनी 30 वर्षों की सेवा पूरी की है तथा रिट याचिका के पैरा 6 में उल्लिखित अनुसार 2014 से 2021 के बीच विभिन्न तिथियों पर सेवानिवृत्त हुए हैं। हालांकि, सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें उनके सेवानिवृत्ति लाभ जैसे सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ), समूह बीमा, ग्रेच्युटी, और पेंशन का भुगतान किया जा चुका है, लेकिन अब तक उन्हें तृतीय एमएसीपी का बकाया और उसका पेंशन में लाभ प्रदान नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि झारखंड सरकार ने 01.09.2009 को एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसके तहत राज्य सरकार ने 01.09.2008 से एमएसीपी योजना को लागू किया है। याचिकाकर्ताओं ने 30 वर्षों की सेवा पूरी करने के बाद, नियम संख्या 20(क) (iii) के अनुसार,

ग्रेड पे I के 23 वर्षों के बाद 5 वर्षों की सेवा पूरी कर ली है, जिससे वे ग्रेड पे II के 4600 रुपये के वेतन बैंड के लिए पात्र हो गए हैं। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि याचिकाकर्ताओं ने परिशिष्ट-1 (अनुबंध 1) में उल्लिखित सभी आवश्यकताओं को पूरा किया है और वे 4600 रुपये के वेतन बैंड के हकदार हैं। इसके बावजूद, प्रतिवादी अभी भी उन्हें 2800 रुपये के वेतन बैंड पर पेंशन का भुगतान कर रहे हैं। इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि इस रिट याचिका में किए गए अनुरोधों को स्वीकार किया जाए और याचिकाकर्ताओं को तृतीय एमएसीपी का बकाया और उसके पेंशन में लाभ का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए।

4. राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं को वित्त विभाग के 01.09.2009 के संकल्प के आलोक में तृतीय एमएसीपी का लाभ उनकी पात्रता के अनुसार प्रदान किया गया है, जिसका उल्लेख प्रतिवाद हलफनामे के पैरा 11 में विस्तार से किया गया है। आगे कहा गया कि याचिकाकर्ता संख्या 8 – गोपाल सिंह को तृतीय एमएसीपी का बकाया पहले ही 20.03.2012 को दिया जा चुका है। साथ ही, यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता संख्या 8 – गोपाल सिंह को वार्डर के पद पर ग्रेड एस-5 में वेतनमान रु. 3050-75-3950-80-4590 पर पीबी-1 के तहत ग्रेड पे रु. 1900/- पर नियुक्त किया गया था। इसलिए, याचिकाकर्ता संख्या 8 का मामला नियम 20 (क) (iii) के प्रावधान के अंतर्गत नहीं आता है, जैसा कि उन्होंने दावा किया है। बल्कि, याचिकाकर्ता संख्या 8 का मामला एमएसीपी योजना के नियम 4 के प्रावधानों के अंतर्गत आता है और उसके अनुसार, याचिकाकर्ता संख्या 8 रु. 4600/- के वेतन बैंड के पात्र नहीं हैं और उन्हें रु. 2800/- के वेतन बैंड पर उच्चतम पेंशन मिल रही है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ताओं को वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2981 दिनांक 01.09.2009 के आलोक में 01.09.2008 से तृतीय एमएसीपी का लाभ प्रदान किया गया है और बकाया राशि का भुगतान किया जा चुका है। आगे यह कहा गया कि एमएसीपी योजना के नियम 20 (क) (iii) उन व्यक्तियों के लिए है, जिन्हें ग्रेड पे रु. 4200/- पर वेतन बैंड II में दूसरी नियमित पदोन्नति प्राप्त हुई है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं को उच्चतर वेतनमान पर कोई नियमित पदोन्नति नहीं मिली है। अतः, एमएसीपी योजना के नियम 20 (क) (i) के आधार पर, उन्हें ग्रेड पे रु. 2800/- पर सभी लाभ प्रदान किए गए हैं और याचिकाकर्ताओं में से कोई भी रु. 4600/- के वेतन बैंड पर पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है।

5. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ताओं को अपनी शिकायत के समाधान के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहिए, लेकिन इस संबंध में किसी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए बिना, उन्होंने सीधे इस रिट याचिका को दायर किया है। अतः, यह रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

6. बार में की गई दलीलों को सुनने के बाद और प्रतिवादी के विधि विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों के संदर्भ में, यह रिट याचिका इस टिप्पणी के साथ निस्तारित की जाती है कि याचिकाकर्ता सक्षम प्राधिकारी – प्रतिवादी संख्या 2 के पास, इस न्यायालय के आदेश के दिनांक से चार सप्ताह के भीतर एक प्रतिनिधित्व दाखिल कर सकते हैं, और यदि ऐसा प्रतिनिधित्व दाखिल किया जाता है, तो प्रतिवादी संख्या 2 को इसे कानून के अनुसार, सरकार द्वारा जारी सभी परिपत्रों सहित, इस न्यायालय के आदेश के दिनांक से तीन माह के भीतर विचार करने के लिए निर्देशित किया जाता है।
7. परिणामस्वरूप, यह रिट याचिका उपरोक्त दिशा-निर्देशों के साथ अनुमति दी जाती है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायमूर्ति)

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
दिनांक, 17 फरवरी, 2024
स्मिता/एएफआर

***यह अनुवाद मो. नसीम अख्तर पैनल अनुवादक (झारखंड उच्च न्यायालय, रांची) द्वारा किया गया।**